

फर्द अहकाम

ल ११७ बनाम १११५

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर काठे ३-५५२
केस संख्या ५१/२५५

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>से जवाब पेश करे। अग्रार्थी 1, 3 अनुपस्थित हैं। आज्ञा पेशी पर अनुपस्थित रहे पर एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली क्रमांक 18/9/2024 के पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर</p>	
18/9	9/24	<p>पत्रावली प्रस्तुत। वकील अग्रार्थी उप. 1 अग्रार्थी-2 आज्ञा पेशी पर निवृत्तरूप से जवाब पेश करे। अग्रार्थी 1, 3 अनुपस्थित हैं। आज्ञा पेशी पर अनुपस्थित रहे पर एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली क्रमांक 1/10/24 के पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर</p>	
1/10	10/24	<p>पत्रावली प्रस्तुत। व. फ. उपस्थित। मूलवाद में अग्रार्थी प्रतिक्रिया एवं वादी अग्रार्थी द्वारा राजीनामा पेश कर प्राथमिक डिफेंडि किराजा युक्त है। अग्रार्थी 1, 2, 3 जवाब पेश करना नहीं चाहते हैं। अतः जवाब खंड किया जाता है। उनपुत्र अधिवक्तागण को अनिश्चित बरस सूनी गई। अग्रार्थी अधिवक्ता ने दोरके बरस अधिवक्ता किया कि वह वादग्रस्त आराजी अधिवक्ता कृषि मूले है अग्रार्थीगण किना विधिवत तकामना हुए विशिष्ट गू-गाण पर निर्माण एवं बेचाग करके पर उतारु है अतः प्रथम दुल्पा माला, अपूरणीय शील एवं सुविधा का</p>	



फर्द अहकाम

लाला बनाम गोपाल

नाम न्यायालय सहायक कलेक्टर कामेटपुर - जयपुर

केस संख्या 47/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष कि
		<p>संतुलन प्रणाली के पक्ष में है। अतः अप्रार्थित को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अस्तुत तर्कों के प्रकाश में उच्च दृष्टि मागला, मूखणीय इति सुविधा का संतुलन प्रणाली के पक्ष में प्रति होता है। अतः वाप वाहुल्यता को रोकने के लिए दिनांक 27/2024 को जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा (आ.अ.अ.) को मूलवाद के निस्तारण तक खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फैसला शुगर होकर दाखिल पत्र हो।</p>	

सहायक कलेक्टर
आमेर ज. जयपुर